

प्रकार

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2018

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

ओ डी रेन्स राव डिसान

2. वर्तमान धारित पद

उप निदेशक

3. वर्तमान वेतन

87800+DA

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

1.7.2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		भूमि	*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जित की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अवधारित
	(1)	(2)						

जिला - भीपाल राहौल डरर (M.S. 2)	शाहसीय शहर (M.S. 6) राहौली	-	शहसीय शहर	राहौली शहर	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जित की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अवधारित

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगाया गया मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी: मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अर्थात प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य में यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के भरना वह योग्यता-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उस विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

शाकेसुधो-926-अससाप्रवि-22-10-09-15,000.

हस्ताक्षर  
 नाम  
 पद  
 विभाग

ओ डी रेन्स राव डिसान  
 उपा निदेशक  
 शाहसीय प्रशासनिक सेवा (M.S. 2)  
 राहौली

पंजीर्ण

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2018

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो इटीआर डी मोरदा 2. वर्तमान धारित पर इंजिनियर (विद्युत)

3. वर्तमान वेतन ₹ 25400/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1.7.2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो.	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		भूमि	*वर्तमान मूल्य	यदि मूल्य के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अध्यापकता
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जिला- मीरजापूर राखीम डेअर द्विरीग सकल (द्विरीग-मिड) मीरजापूर	आवासीय घर	खुद	(100000) ₹ 22.00 लाख	खुद ही पर	यह संपत्ति अर्जित की गई 1996	किरी	

जहां लागू न हो कार दीजिए।

\*\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अलकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अर्जित प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उपरक द्वारा धारित सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर [Signature]  
 नाम इटीआर डी मोरदा  
 पद इंजिनियर (विद्युत)  
 विभाग इंजिनियरिंग विभाग, मीरजापूर

फारम

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2018 (1-1-2018 से 31-12-2018)

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **वर्धमान धारित पद**

3. वर्तमान वेतन **57,950/-** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **अलाई, 2019**

**इलेक्ट्रीशियन**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभिधानित
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
हत्नाई रोड, आनन्द-102 कोथाल	अपना 30X50फुट	-	30लाख लाभप्रति	स्वयं एवं पत्नी के नाम पर	रूप में एक लाख में श्रीमती और श्रीमती से - बार्क, 2004 में क्रम क्रिया ज्यादा 1 करोड़ पतनल लीन की शिक्षा स्वयं की बचत	निरंक की गैड	कम की आरक्षित
नयापुरा कोलार ईड, कोथाल	अपना 19X40 फुट	-	30लाख लाभप्रति	स्वयं के नाम पर	क. 925, 500/- में उज्ज्वला एडवोकेट एवं फार्मेशन डा. सि. - निरंक - से विरासत, 2007 में क. किमा बैंक लीन, श्री पी. एड श्रीमती सुद्धर एवं कों की बचत से कर किया	निरंक	

जहाँ लागू न हो कार दर्जिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय संवक (आवृत्त) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परभाव यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

शाकं.मु.भां-926-अससाप्रावि-22-10-09-15,000.

हस्ताक्षर  
 नाम **वर्धमान धारित**  
 पद **इलेक्ट्रीशियन**  
 विभाग **शासकीय इन्जिनियरिंग**  
**एडवोकेट**

10-

पत्राभेद  
 \*प्रथम नियुक्ति के समय आयुक्त सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2018  
 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **अरुण शिन्धवार**  
 2. वर्तमान धारित पद **बुखार गार्ड**  
 3. वर्तमान वेतन **49500/-** आगामी वेतनवृद्धि की तारीख **11/12/19**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरा		वर्तमान मूल्य	अदि स्वयं के नाम पर ला हो तो बदलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, क्रिसल, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभ्याजित
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<b>निवेदक</b>						

जहाँ लागू न हो कार दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में व्यापार मंडल बतलाया जाए  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा को प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक वर्ष प्राथमिकता के अनुसार पद पर चले जायें और उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे धारित होने वाली सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत करें।  
 पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे का बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अथवा सम्पत्ति को दर्शा दें।  
 शांतिमुभी-926—अससाप्रवि-22-10-09—15,000.

हस्ताक्षर **Sharma**  
 नाम **अरुण शिन्धवार**  
 पद **बुखार गार्ड**  
 विभाग **श्रीमती ग. गुरुनारायण जी एस स्कूल**  
**का 20 मई 1919**

पुनर्गम

\*प्रथम नियुक्ति के समय अवकाश सम्पत्ति का विक्रयण, वर्ष 2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **आर. एम्. सिंगारिया** 2. वर्तमान धारित पद **हाईमड प्रो-1**

3. वर्तमान वेतन **44800/-** आगामी वेतनवृद्धि की तारीख **1-7-2019**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरे		भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइए कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासक कर्मचारी से क्या संबंध है	उस किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, भेट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	आवधिक
	गृह तथा अन्य भवन	अन्य						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1. V-9, अग्रदर्शि निरामद विरम माट, मोधाल	इस्तेमाल	-	500000	खेत खं पल्लि के माट	खेत की भोरण भोरि खं-होम धरन करार वर्ष 2003 के तारीख। अग्रदर्शि कर्मक मोधाल	NIL		
2. मांडरी 206	इस्तेमाल	-	380000	भोरि	खेत के खं पल्लि के माट के क्षेत्र मोधाल			

\* जहाँ लागू न हो कार दी जाए।  
\*\* ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगाया गया बतलाया जाए।  
\*\*\* इसमें अत्यन्तहीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
टिप्पणी: मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवृत्त) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अर्जित प्रथम श्रेणी जिला क्षेत्र तथा वृत्तीय श्रेणी सेना के मूलक मूल्य से यह अपेक्षित है, कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसकी बाद मूलक/वर्ष के माट की शर्तों पर वह माट/पट्टा पर कर प्रकृत करने और पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति आबंटन सम्पत्ति के ब्योरे हैं।

हस्ताक्षर **Singarya**  
नाम **आर. एम्. सिंगारिया**  
पद **हाईमड प्रो-1**  
विभाग **हाईमड प्रो-1 तथा विरम माट मोधाल**

पुनर्भ

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

अध्यापक

3. वर्तमान वेतन 44,800/- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभयुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				1/2019			

\* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 दिव्याणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचारण) विधम, 1959 के नियम 18(3) के अर्थात् प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसकी बाद मूल्य-विवरण सहित की जानकारी यह जाणाना करना और प्रस्तुत करने और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसी द्वारा प्राप्त की गयी या उसके परिवार के किसी सदस्य/कर्मिण पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अर्थात् सम्पत्ति के ब्योरे हैं।

हस्ताक्षर Stebal  
 नाम रमेश चंद्रा बाबर  
 पद अध्यापक  
 विभाग विभागाध्यक्ष आर-काय  
तथा अरुण रायभा

पूरुवर्त

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20 18 (डिवाक 1-11-2018 से 31-12-2018 तक)  
 1. अधिकांती/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **राधा शीख वर्मा**  
 2. वर्तमान धारित पद **सिस्टम का डेप्युटी**  
 3. वर्तमान वेतन **श्रेणी V.7 600** ... आरती वेतनवृद्धि का तारीख **1-7-2019**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उस किस प्रकार अधिात किया गया <b>**खरीद, पट्टा, बंधन, निरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अधिात की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा</b>	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	(1)	(2)						

**जिला औषधालय**  
**राज शीख डक्टर**  
**डी.एच. नगर**  
**राज शीख काला**  
**पौषास**

**आवा कवाचा**  
**20x30**  
**1600 क्वाड्रिट**

**आवाका**  
**रसायनाख**  
**बंको डेपर**

**श्रीमती जान्ती**  
**वर्मा**  
**(प्रादि)**

**रविसिख जाग वर्धि**  
**1995**  
**डी रजुवीर सिंह**  
**डी उजियाल सिंह**  
**डी डी.एच. सिंड**

**डी स राडल**  
**कुआवण सिंडी**  
**पस स्वयं की**  
**अवत सि डक**  
**बकाज वनाका**  
**राय**

\* जहाँ लागू न हो कार दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही निर्धारण करना संभव न हो, जहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में क्या भी मूल्य बतलाया जाय  
 \*\*\* इससे अन्यकालीन पट्टे भी सम्पत्तित हो।  
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के पदों के सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति कि समय और उससे बाद प्रत्येक वर्ष की अवधि में प्रत्येक वर्ष कर प्रकृत करने और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिात अथवा उस विवरण में मिली या उसके अधीन नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधन और उसके द्वारा धारित सम्पत्ति का ब्यौरे हो।  
 शािकेपुथे-926-अससाप्रावि-22-10-09-15,000.

हस्ताक्षर **राधा शीख वर्मा**  
 नाम **राधा शीख वर्मा**  
 पद **सिस्टम का डेप्युटी**  
 विभाग **शासकीय डक राज शीख**  
**राधा शीख**

फारम

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2018

दिनांक 20/07/2019

सहायक जी.डी.ओ.

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो  
 2. वर्तमान धारित पद  
 3. वर्तमान वेतन  
 अगली वेतनबृद्धि की तारीख 01-07-2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभिप्रेति
	गृह तथा अन्य भवन							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
शारदा, कोल्हार	घाट	-	39000/00/-	मरिज एवं स्वयं के नाम पर (संयुक्त)	मरिज एवं स्वयं के जी.डी.ओ. से भेंट एवं अर्जित पर	-	-	

जहां लागू न हो कार दर्शाएं।  
 \* ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगाया मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\* इसमें अन्यकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय संचक (आन्तरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से वह अर्जित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक वारह महीने की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

शान्कम्पू—926—अससप्रावि—22-10-09—15,000.

हस्ताक्षर... दिनांक  
 नाम दिनांक 20/07/19  
 पद सहायक जी.डी.ओ.  
 विभाग विभागाध्यक्ष, आ.डी.ओ. म.प्र. शासकीय म.प्र. शासकीय



**प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2018-19**

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **ए.डी.ओ. प्रशा. सेवा. सेवा** ... 2. वर्तमान धारित पद **डी.डी.ओ. प्रशा. सेवा**

3. वर्तमान वेतन **4,81,000 + D.A.** ... अगली वेतनवृद्धि की तारीख **1/07/2019** ...

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आम	अभिधान
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	<b>4/2 अचल सम्पत्ति</b>	<b>4/2 अचल सम्पत्ति</b>	<b>—</b>	<b>25,00,000/-</b>	<b>24/11/2018 पर</b>	<b>(1) श्री. पी.एफ. 26</b> <b>(2) श्री. पी.एफ. 26</b> <b>(3) 20/11/2018 पर</b> <b>(4) अपने विवाह पर</b> <b>4/2 अचल सम्पत्ति से</b> <b>उत्पन्न भूखंड</b> <b>दिनांक 4/11/04 की अधिका</b> <b>नं. 21/201 अचल सम्पत्ति 4/2</b> <b>11/2 अचल-2 विधि 26</b> <b>एम.पी. गाँव ज्योथिबाबा</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

\* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सदरध में लागू मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अलपकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
**टिप्पणी :** मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पर्यन्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर **अचल सम्पत्ति**  
 नाम **अचल सम्पत्ति**  
 पद **डी.डी.ओ. प्रशा. सेवा-II**  
 विभाग **डी.डी.ओ. प्रशा. सेवा**  
**21/11/2018**

पंजाब

1-2-2018 से 31-12-18 तक

वर्तमान धारित पद सेवानिवृत्त

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति द्वारा विवरण, वर्ष 2018

वर्तमान धारित पद

सेवानिवृत्त

2

3. वर्तमान वेतन @ 48100/- P.M. अर्थात् वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-19

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासक/अधिकारी का नाम क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभिवृत्त
--	----------------------------	------------------	------	-----------------	---	--	------------------------	----------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1- ग्राम भाजा, दामरवाड़ा तहसील, जिला भापाला सर्वकारि होस्टल - A, लमाद नगर - 254	—	लमाद 25x40 Sq. feet	लमाद 17 लाख	—	श्रीमती श्री लाला आता के अग्र विधा	निम्न	—

2- ग्राम - महाबाड़िया काला बाँड, श्रीमती कौर-शुन दयलिय अजी- शोधन	शुलम वस	—	42 लाख	—	L.I.C. से ज्योन निम्न	—	—
--	---------	---	--------	---	-----------------------	---	---

\* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के अनुसार में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अन्यकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (ओवरपा) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अर्थात प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य से एक अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उससे बाद महसुस न होने तक, महान की अर्जाओं के अतिरिक्त, अपने नाम पर या उसके परिवार के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति के ब्यौरे दे।  
 शाकेसूचो-926-अससाप्रावि-22-10-09-15,000

वर्साक्षर  
 नाम श्रीमती शोभन शानी शर्मा  
 पद  
 विभाग

पत्रांक

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2018

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीमति इशारा इकबाल 2. वर्तमान धारित पद सहायक ड्राफ्ट्समैन

3. वर्तमान वेतन ₹ 44,800/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1.1.2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभिधान
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>निराक</u>							

- जहां लागू न हो काट दीजिए।
- ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- इसमें अलकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
- टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय संचक (आचारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

शाकमुखा-926-अससाप्रवि-22-10-09-15,000.

हस्ताक्षर [Signature]

नाम श्रीमती इशारा इकबाल

पद सहायक ड्राफ्ट्समैन

विभाग कनिस्ट्रक आनकीम इका तथा

जिखर कामेशी कर प्रो कोषाल

प्राथम्य

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2018 (दि० 1-1-2018 से 31-12-2018 तक)

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **शैलेन्द्र सिंह बिसोदिया** 2. वर्तमान धारित पद **सहायक जेड-2**

3. वर्तमान वेतन **4,6,700 + D.A.** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **1-7-2019**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		भूमि	*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकत्व कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिगत किया गया **खरीद, भूदंड, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिगत की तारीख और जिससे अधिगत की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अपेक्षित
	(1)	(2)						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	ओपारल बिल्ला बनाम हताशिवेड़ा अभनन्द नगर ओपारल ।	जरह 25'x40' एलाट पर निर्मित	-	25 लाख	स्वयं के नाम	स्वयं की कन्या, जी.पी.एच. पर्यवेक्षण एवं चिनास से प्राप्त राशि से ।	-	-

\* जहां लागू न हो कर दीजिए।  
\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के अनुसार के लागू मानक बतलाया जाए।  
\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
\*\*\*\* मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के पदों का स्वरूप से यह उपाय है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद मूल्य निर्धारण में पहली श्रेणी के पदों का ध्यान रखा जाए और उसके बाद उपाय से उपाय के क्रम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे का अधिकार पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति के ब्यौरे हैं।

नाम **शैलेन्द्र सिंह बिसोदिया**  
पद **सहायक जेड-2**  
विभाग **आंगुमुडा तथा छेरण समकपी**  
**महानगरपालिका**

फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2018

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्री मसी खरोषा सुखबाहादुर खोशे 2. वर्तमान धारित पद एसोसिएट - 2

3. वर्तमान वेतन ₹. 46,700/- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 19.01.2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, किरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियंता
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	

शुद्ध

हस्ताक्षर [Signature]

नाम श्री मसी खरोषा सुखबाहादुर

पद एसोसिएट - 2

विभाग एसोसिएट प्रशासनिक विभाग

- \* जहां लागू न हो काट दीजिए।
- \*\* ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
- \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय संवक (आवस्था) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अर्थात् प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पर्यन्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

शाकमुभा-926-अससप्रावि-22-10-09-15,000.

पञ्चम  
 \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2018 दि. 1-1-18 से 31-12-18 तक

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **श्रीमती सुश्रुत वर्मा**

2. वर्तमान धारित पद **सीनियर लिपिक वर्मा**

3. वर्तमान वेतन **₹ 42,400/-**

अगली वेतनवृद्धि की तारीख **1-7-2019**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभिधान
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
क. नं. 1309/1310 जाली नं. 3 बार्डिंग बोर्डा चाणपुर तह. व. जिला-अबलखुर	अपना	-	मोबाय 58 लाख	पारि श्रंख स्वयं 08 लाख पट	खरीद - श्रीमती सुश्रुत वर्मा गदकीला से S.B.I से लोन श्रंख 08 लाख पारि 08 लाख	जिला	-	

\* जहाँ लाना न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अत्यकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परनात् वह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर **K. Babbar**  
 नाम **श्रीमती सुश्रुत वर्मा**  
 पद **सीनियर लिपिक, H.O. BPL**  
 विभाग **शां. प्र. तथा ल. शां. नं. 5. अण्डाल**

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो  
 2. वर्तमान धारित पर  
 3. वर्तमान वेतन  
 अगली वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	आभयार्जन
	गृह तथा अन्य भवन							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
शरदना जिला शरदना	गांव शरदना	-	1000000 7,00,000	एचएच नाम	किराडा	-	-	

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अलकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार प्रत्येक चारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर  
 नाम  
 पद  
 विभाग

प्रारम्भ

\*प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2018

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो **जार्ज एम.बी.**
2. वर्तमान धारित पद **सहायक जेड.आई**
3. वर्तमान वेतन **५३,५००/-** आगामी वेतनवृद्धि की तारीख **1-7-2019**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	रपर्ता से वर्षिक आय	अभिधात्रिक	
	(1)	(2)						(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल डिवीजन औरंगाबाद	प्लॉट	नदी	18 लाख	बिना एं पनी के नाम	विकर से कर किमा कैड क्या भवन एवं सामान्य अक्रिय निधि के नाम धारित हैं।			

\* जहाँ लागू न हो काट दी जाए।

\*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सदृश में लगाया मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अलतकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आन्वरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पहले महीने की अवधि के परन्तु वह मोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अवल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

शाकेसुभो-926-अससाप्रावि-22-10-09-15,000.

हस्ताक्षर **जार्ज एम.बी.**

नाम **जार्ज एम.बी.**

पद **सहायक जेड-आई**

दिभाग **आ. सु. नया निधन भाग**



**\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2018**

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो आता भारत, एलकेड-बी७ 2. वर्तमान धारित पद एलकेड-बी७

3. वर्तमान वेतन ₹ 2,200/- ... आता वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2019 ...

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	(1)	(2)						
		आवास	किरि	240000	स्वयं तथा पत्नी के नाम से खरीदा	अर्जित किया गया 16 अक्टूबर 2018		

जेडर जॉबर्ट आवास

स्वयं का प्रथम अर्जन 16 अक्टूबर 2018 के बैंक ऑफ इंडिया से

\* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक चारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर Beda  
 नाम श्री. आता भारत  
 पद एलकेड-बी७  
 विभाग आ. नं. एलकेड-बी७  
आवास

कार्य

\*प्रथम नियुक्ति के समय अबल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2018

सुधीर शर्मा के वर्तमान धारित पद अथवा पद की संख्या

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो
2. वर्तमान वेतन
3. वर्तमान वेतन

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विशाल, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	शेष-मूल्य
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
अथवा	अथवा	अथवा	2600000/-	स्वयं	25-07-18	अथवा	अथवा

- \* जहां लागू न हो कार दर्शाए।
- \*\* ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
- \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

दिपणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार प्रवृत्त रहें और प्रवृत्त रहने की अवधि के पर्याप्त रूप में कार्य करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपनने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अबल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

शा.कं.मु.भो-926-अससाप्रवि-22-10-09-15,000.

दिनांक 22-2-19

हस्ताक्षर  
सुधीर शर्मा  
पद  
अथवा पद की संख्या  
विभाग  
अथवा विभाग का नाम



पत्रार्थ

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2018 (दिनांक 1-1-2018 से 31-12-2018 तक)

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है श्री अशोक चौधरी 2. वर्तमान धारित पद सहायक ड्रिड-III

3. वर्तमान वेतन ₹ 39,800/- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभिधानित
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<u>जि.शं.</u>			

\* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।  
\*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागूभा मूल्य बतलाया जाए।  
\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
दियुक्ति : मध्यप्रदेश शासकीय संचक (आवृण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार वह महीने की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

शान्कमुष्ण-926-अससाप्रति-22-10-09-15,000.

हस्ताक्षर श्री अशोक चौधरी  
नाम श्री अशोक चौधरी  
पद सहायक ड्रिड-III  
विभाग शां.सू.त. तथा लेखन शाखा,  
गोण्ड, गोण्डा

पत्रार्थ

\*प्रथम नियुक्ति के समय आचलन सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2018

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीमती शंभुया पवार 2. वर्तमान धारित पद सहायक गैड-3

3. वर्तमान वेतन ₹ 37800/- आचलन वेतनवृद्धि की तारीख फरवरी 2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि मूल्य के नाम पर ना हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, भेट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अर्थात्
	(1)	(2)					
श्रीमती विकास शर्मा द्वारा स्वीम एमर्सीटि चण्ड- 1 सेक्टर औ धारा पीपल्स पब्लिसि हलवा नं. 4 नरसिंह हुस्वर जिला, अंचल	शुगरबंद	—	14,40,000.00	इसके दो नाम दिनांक 30-3-2016 की अंश विभागा वरिष्ठ श्री गणेश एवं श्री. श्री. से अर्जित किया गया है।	—	NIL	धारा 17 में उल्लेखित कर की श्रेणी की है।

\* जहां लागू न हो काट दी जाए।  
\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में क्या मूल्य बतलाया जाए।  
\*\*\* इसमें अप्रत्याशित पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
\*\*\*\* मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अचाना) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के पदों के सम्बन्ध में यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक चार वर्षों की अवधि में प्रथम श्रेणी से तृतीय श्रेणी तक बढ़ावा प्राप्त करने और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित वेतनवृद्धि में मिली या उसकी अंश में नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अर्थात् सम्पत्ति के ब्यौरे को।

शांकेपुत्रो-926-अससाप्रति-22-10-09-15,000.

हस्ताक्षर श्री  
नाम शंभुया पवार  
पद सहायक गैड-3  
विभागा अधिकाय नियंत्रक हुस्वर तथा चण्ड  
शांकेपुत्रो, नं. का औपल

पत्रार्थ

\*प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2018

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो **अशोक जी शर्मा**, वर्तमान धारित पर **अशोक अड-III**

3. वर्तमान वेतन **3,8,600/-** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **1-7-2019**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टे, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	आभारित
	(1)	(2)						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		लॉट 200x50 = 1100 वर्ग फुट		₹18000	2-वर्ग	कंपनी - शेल्डन सी.एस.डी (3/2012)	-	-
		लॉट 25x50 = 1250 वर्ग फुट		₹12000	जी.पी. अर्जित	कंपनी - शेल्डन सी.एस.डी (2013)	-	-

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 \*\*\*\* मध्यप्रदेश शासकीय संचक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अर्धीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक वारह महीने की अवधि के परन्तु यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अवल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर **Sharma**  
 नाम **अशोक जी शर्मा**  
 पद **अशोक अड-III**  
 विभाग **अतिरिक्त प्रशासक 211401**

प्रार्थना

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2018

सहायक वरिष्ठ अधिकारी

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो लोक प्रशासन विभाग

2. वर्तमान धारित पद

सहायक वरिष्ठ अधिकारी

3. वर्तमान वेतन 37495- (ग्रेड)

अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1.7.2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभिधातित
	गृह तथा अन्य भवन							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	बनारस	-	34 लाख रु० केवल	-	दरमं वही अचल आदि के अर्जित एवं बैंक से बैंकर कृपम विभाग	-		

- \* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
- \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
- \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अवैध है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक चारह महीने की अवधि के पर्यन्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दे।

शाकेमुभा-926-अससाप्रवि-22-10-09-15,000.

हस्ताक्षर [Signature]  
 नाम दीपक कुमार शर्मा  
 पद सहायक वरिष्ठ अधिकारी  
 विभाग आ. प्र. व. विभाग विमान संचालन  
स-5, अम्बाला

पत्रार्थ

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20 18-19

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो महेश चान. वाकर लिपिक का (P2) वर्तमान धारित पद सहायक जे-3

3. वर्तमान वेतन RS. 46,100/- plus Allowance आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभिधातित
	गृह तथा अन्य भवन	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<u>श्रीपाल</u>	<u>कै. नं. I-08</u> <u>वर्धमान जी</u> <u>पार्क कालोनी</u> <u>श्रीपार.</u>	<u>-</u>	<u>RS. 6,75,000/-</u>	<u>स्वयं</u>	<u>बैंक लोन द्वारा</u>	<u>NIL</u>	

हस्ताक्षर Rishabh

नाम चंद्र कान्त वाकर  
पद सहायक जे-3  
विभाग श्रीपाल तथा लेखन सामग्री  
श्रीपाल

- \* जहां लागू न हो काट दीजिए।
- \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
- \*\*\* इसमें अपरकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय संचक (आयुग्ण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार वह महीने की अवधि के पर्याप्त वह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

शिकेसूची-926-अससप्रावि-22-10-09-15,000.



परामर्श

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो *श्रीमान श्री वसुदेव चौधरी* 2. वर्तमान धारित पद *एडवाइजर-3*

3. वर्तमान वेतन *3,5,100/-* अगली वेतनबृद्धि की तारीख *1-7-2019*

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		भूमि	**वर्तमान मूल्य	सदर स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभिधानित
	(1)	(2)						
<i>शाह नवाबा</i>	<i>गृह</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>वर्तमान 15 लाख</i>	<i>एडा एन सुब्र</i>	<i>शुद्ध 2 लाख</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>प.ड. नं. 38</i>	<i>गृह</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>वर्तमान 15 लाख</i>	<i>शुद्ध 2 लाख</i>	<i>वर्तमान 2 लाख</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

- जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
- \*\* ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
- \*\*\*\* मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

शाकेपुं-926-अससाप्रावि-22-10-09-15,000.

हस्ताक्षर *P. B. ...*  
 नाम *श्रीमान श्री वसुदेव चौधरी*  
 पद *एडवाइजर-3*  
 विभाग *श्रीमान श्री वसुदेव चौधरी*

फारम

\*प्रथम नियुक्ति के समय आवल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2018

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो रजनीश कुमार वर्तमान धारित पद अधीक्षक

3. वर्तमान वेतन 34100/- अगली वर्तवृत्तिकी तारीख 7/2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्यापार		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिात किया गया **छरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अधिात की गई हो उसका नाम तथा व्यापार	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिसूचना
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					

*Handwritten signature*

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<u>शक</u>	<u>-</u>	<u>25,00,000</u>	<u>पति</u> <u>शक</u>	<u>पति</u> <u>शक</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

- \* जहां लागू न हो काट दीजिए।
- \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति को संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक वर्ष मूल्य का निर्धारण करे और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिात अथवा उसी निशुल्क में मिली जा रही है अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा अधिात सम्पत्ति के ब्यौते करे।

नाम रजनीश कुमार  
पद अधीक्षक  
विभाग राज्य सरकार

प्राप्त

\*प्रथम नियुक्ति के समय अबत सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019

अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

वर्तमान धारित पद

सहायक अई-तीन

वर्तमान वेतन 31200

आगामी वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2019

अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

वर्तमान वेतन 31200

आगामी वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभिधातित
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

शुद्ध

हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष

विभागाध्यक्ष

विभागाध्यक्ष

विभागाध्यक्ष

- \* जहां लागू न हो काट दीजिए।
- \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- \*\*\* इसमें अत्यन्तकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
- टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पर्यन्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाभिमन्य की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अबत सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

शाकेपुर्ण-926-अससाप्रति-22-10-09-15,000.

प्रारम्भ

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2018 (18/18 से 31-12-18)

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है

अशोक सिंह

2. वर्तमान धारित पद

एसएसडी डिप्टी

3. वर्तमान वेतन

34100+10A

अप्रैल 2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	राजपति से वार्षिक आय	अभिधातित
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				निशंक			

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।  
\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।  
\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अर्थात् प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महाने की अवधि के परभाव यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनका स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

शाकेपुंभो-926-अससाप्रवि-22-10-09-15,000.

हस्ताक्षर  
नाम  
पद  
दिनांक

अशोक सिंह  
एसएसडी डिप्टी  
25/11/19  
25/11/19

**फार्म**

**\*प्रथम नियुक्ति के समय अथवा सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2018-19**

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो *असिस्टेंट सिटि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर (सहायक प्रोग्रामिनिस्ट)* वर्तमान धारित पर *स्टायफ क्वेट-नीज*  
 3. वर्तमान वेतन *29,500/-* आला वेतनवृद्धि की तारीख *01. जुलाई 2019*

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
शाम-भांयडा काली पटवर्दी एका नम्बर-16 राजान्प विहीसण मण्डल 02 विवास बरुड पुरा नरसाल इन्डर जिला-ओपानल	—	भूमि बतारा कमांड 209/2/11/15 210 का अंतर आज क्षेत्राल 1900 वर्गफिट अनुवड कमांड 95-96	346,000/-	इपुं 5 गांग	इपुं की अथवा से उप- मोसायडी से लोन लेकर एवं जानसी एवं सुकराल पक्ष की अंतर से अर्जन नारीस 23-03-15 श्री अमर स्वरुप पंथी पुनः-श्री पुरुषोत्तम पंथी आणु वणाल निवासी मकान नम्बर-1193 अव जीवन जालीनी एडोला- मोडर ओपानल (श.क.)	जिरां जिरां		

जहां लागू न हो काट दीजिए।  
 \* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\* इसमें अत्यन्तकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार प्रत्येक नतीजे की अवधि के परबाद यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथ्य उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।  
 हस्ताक्षर *[Signature]*  
 नाम *असिस्टेंट सिटि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर*  
 पद *असिस्टेंट सिटि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर*  
 विभाग *जि.सं.क. 2/15/का.पु. अ.स.प. न.श.प.क.स.न.*  
*जामशेरी, सं. 5, ओपानल*

पं. नं.

\*प्रथम नियुक्ति के समय अवकाश सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2018

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

सिद्धिदा-द्वितीय

2. वर्तमान धारित पद

सहायक प्रबन्धक

3. वर्तमान वेतन

211700/-

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

11/12/2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभिव्यक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अलफ़ाबेटिकल पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के प्रथम तिथि पर भ्रमण-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अन्यदा सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

शाके.मु.भो-926-अससा.प्रावि-22-10-09-15,000.

इसकाक्षर  
 नाम निवासी  
 पद सहायक प्रबन्धक  
 विभाग सहायक प्रबन्धक  
 शाके.मु.भो. 926-अससा.प्रावि-22-10-09-15,000.

पत्राभेद : 01/01/18 से 31/12/18  
 \*प्रथम नियुक्ति के समय अवलंबित सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2018 01/01/18 से 31/12/18  
 अधिकारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो आशा जोरकर निरियकरा  
 वर्तमान धारित पद सहायक ड्रिड-3(तीन)  
 3. वर्तमान वेतन... 24 24,000/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख... 01/07/2019.

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभिधान
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जोरी डोंकर आकाशिया परौड पडिसार बर्डे भोपाल			12,00,000/-	NIL	भोपाल विहार प्राधिकरण से 30 वर्ष के पट्टे पर 21.6.	NIL	—

- \* जहां लागू न हो काट दीजिए।
- \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अर्थात् प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महिने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवलंबित सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

शांक-मु.भो-926-अससप्रावि-22-10-09-15,000.

हस्ताक्षर : Balwalkar  
 नाम : आशा जोरकर  
 पद : सहायक ड्रिड-3 (तीन)  
 विभाग : शासकीय भु.श. तथा लेखन सामग्री  
भोपाल

पंजीयन

**\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2018**

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

शशि कान्ना

2. वर्तमान धारित पद

सहायक प्रिन्टिंग

3. वर्तमान वेतन

28500/-

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

11/7/2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो

(1)	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइए, कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, बिलीसल, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अध्यापित

1. निवेदन

हस्ताक्षर

\* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में व्यापक मूल्य बतलाया जाए  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 दिव्यणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवृत्त) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अर्जित प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार प्रवर्धन की अवधि के प्रवर्धन यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिगत अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

शाकमुष्णो-926-अससाप्रति-22-10-09-15,000.

नाम शशि कान्ना  
 पद सहायक प्रिन्टिंग - अचल  
 विभाग श्री. प्रि. प्रि. ऑफ़ ससाप्रति



1-1-18 से 31-12-2018

प्रार्थन  
 \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20 18-  
 \*वर्तमान धारित भूद  
 \*वर्तमान धारित भूद  
 \*वर्तमान धारित भूद

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो  
 2. वर्तमान धारित भूद  
 3. वर्तमान वेतन  
 32,100/-  
 आर्जी वेतनवृद्धि की तारीख  
 1/1/2015

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		भूमि	*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभिधान
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
जिला-अजमेर भरतपुर (234 कोठी)	रवाड़ा अजमेर 280 फीट		1450000/- 1400000/-	स्वयं एवं अर्जित भूदा, लालकरी	2013 कर्जा की अर्ज शालीन भूदा अर्जित SBI बैंक से	निल		
जिला-अजमेर भरतपुर (234 कोठी)	रवाड़ा अजमेर 280 फीट		1450000/- 1400000/-	स्वयं एवं अर्जित भूदा, लालकरी	2013 कर्जा की अर्ज शालीन भूदा अर्जित SBI बैंक से	निल		

\* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय संवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक वारह महीने की अवधि के पर्यन्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।  
 शाकमुखा-926-अससाप्रवि-22-10-09-15,000.

हस्ताक्षर  
 नाम  
 पद  
 विभाग

फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अयल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2018

- (1) अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा कालावधि जिसमें वह हो बीपक कुमार रायकर (2) वर्तमान धारित पर अद्यतक वेड-3 (3) वर्तमान वेतन 24700..... (4) अगली वेतन वृद्धि की तारीख 01-07-2019.

उस जिले, उप संभाग तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें स्थिति स्थित हो	स्थिति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारियों से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, बरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, अंश या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जित की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	स्थिति से वार्षिक आय	अधियुक्ति
	गाह तथा अन्य भवन	भूमि					
01	02	03	04	05	06	07	08
1.ग्राम सेवानिया ऑकरा भोपाल	-	प्लॉट	500000/-	स्वयं	माता जी द्वारा एवं स्वयं की बचत से क्रय किया	कुछ नही	
2.ग्राम सेवानिया ऑकरा भोपाल	-	प्लॉट	250000/-	स्वयं		कुछ नही	

- जहाँ लागू न हो काट कीजिए
- ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही विवरण कलना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाय
- इसमें अनपकलीन पट्टे भी शामिलित है

रिपपटी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवा (आवरण) नियम 1959 के नियम-18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सरकार से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पदवी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पर भ्रमकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके क्या-किस की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सरकार के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अयल सम्पत्ति के ब्यौरे हैं।

हस्ताक्षर  


नाम :- बीपक कुमार रायकर  
पद :- सहायक वेड-3  
विभाग :- शासकीय लेखन शाखा  
एवं प्रकारान्त भंडार भोपाल

**पञ्चम**  
**\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20 18**  
**अंग्रेजी**

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **पिंकीशा शर्मा**
2. वर्तमान धारित पद **सहायक जे० - III**
3. वर्तमान वेतन **29,400/-** अंग्रेजी वेतनबुद्धि की तारीख **11.7.2019**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया <b>**खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा</b>	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभिवृत्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				NIL			

- \* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
- \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागूया मूल्य बतलाया जाए।
- \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

**टिप्पणी :** मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पहिले की अवधि के पूरावात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

शाकंभूभा—926—अससप्रावि—22-10-09—15,000.

हस्ताक्षर **Nishtha Sharmar**  
 नाम **पिंकीशा शर्मा**  
 पद **सहायक जे० - III**  
 विभाग **शासकीय भू० तथा निर्यात शासकीय**  
**अ० द० बी०**

पत्रार्थ

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2018

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो राजेश्वर शर्मा 2. वर्तमान धारित पद अहालक ओड-3

3. वर्तमान वेतन 17,500 अगली वेतनवृद्धि की तारीख .....

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियोगित
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				NIL			

- जहां लागू न हो काट दीजिए।
- ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
- \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

\*\*\* मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक वारह महीने की अवधि के पश्चात् वह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

शाकंयुग्म—926—अससाप्रावि—22-10-09—15,000.

हस्ताक्षर राजेश्वर शर्मा  
नाम राजेश्वर शर्मा  
पद अहालक ओड-3  
विभाग श्री. सु. तथा लोचन शाहवादी  
स.स. कोचवाल

पुस्तिका

**\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2018-19**

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो शावन्त कुंहरावाह 2. वर्तमान धारित पद साहायक डी०-३

3. वर्तमान वेतन 19,500/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	रामपति से वार्षिक भाग	अभिधनित
	गृह तथा अन्य भवन	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे						
(1)	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	(8)

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।  
\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अर्थात् प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक चारह महीने की अवधि के पर्यन्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

शांकमुभा-926-अससाप्रवि-22-10-09-15,000.

हस्ताक्षर : शावन्त कुंहरावाह  
नाम शावन्त कुंहरावाह  
पद साहायक डी०-३  
विभाग शासकीय कुंहरावाह जिला निवेदन सामग्री  
का. प्र. औषाल